न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–111/19

प्रवीण यादव बनाम निर्मलचन्द यादव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
16/11/22	आवेदक प्रवीण यादव, पिता–द्वारिका यादव, सा0–किशनपुर, थाना–चतरा, जिला–चतरा द्वारा अपीलवाद अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद सख्या–23/17–18 दिनांक–24.10.2018 के पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि**–अंचल अधिकारी, चतरा का विविध वाद सख्या–23/2017–18 निर्मलचन्द यादव बनाम प्रवीण यादव से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा दिनांक–24.10.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील वाद दायर किया जा रहा हैं। यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा पारित आदेश नियमसंगत नहीं है इसलिए खारिज करने योग्य है। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा अपर समाहर्त्ता, चतरा से प्राप्त पत्र के आलोक में निर्मल यादव के पक्ष में आदेश पारित करते समय न्यायिक दिमाग नहीं लगाया गया। यह है कि आवेदक निर्मलचन्द यादव के पिता– हिरालाल महतो उर्फ हिरा यादव के द्वारा झमन महतो एवं द्वारिका महतो के नाम से जमाबंदी नियमित होने के समय कोई आपति दर्ज नही की गई थी। यह है कि विविध वाद सख्या–04/2016–17 में पारित आदेश सही नहीं है। निर्मलचन्द यादव के पिता एवं पूर्वजों के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के समक्ष अपील/आपति आवेदन दायर किया जाना चाहिए था। यह है कि अपर समाहर्त्ता, चतरा का कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था	

1 Misc

क्योंकि अंचल अधिकारी, चतरा के न्यायालय का अपीलीय न्यायालय भूमि सुधार न्यायालय होता है। साथ ही साथ अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा अपीलार्थी के पक्ष को बिना सुने हुए अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–04/2016–17 पारित आदेश को रोक लगा दिया गया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है इस प्रकार अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा पारित आदेश का कानूनन कोई महत्व नहीं है। यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा का भी कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा कायम जमाबंदी (विविध वाद संख्या–04/2016–17 के माध्यम से कायम) जो लम्बे समय से चल रहा हो, को रद्द कर दिया जाय। यह है कि अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी के पास अनुशंसा भेज सकते हैं। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा फर्जी एवं बनावटी रिटर्न पर बहुत भरोसा दिखाया गया परंतु लिखित कथन एवं लिखित बहस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह है कि दाखिल रिटर्न खुली ऑख से देखने से भी पता चलता है कि फर्जी हैं। यह है कि कथित रिटर्न हिरालाल महतो उर्फ हिरा यादव, पिता–छतर महतो के द्वारा भरा गया है, जिसमें विभिन्न रैयत के रूप में अपने पिता छतर महतो को क्रमांक संख्या 32 पर, चाचा झमन महतो, अपने चाचा छकु महतो चाची फागुनी देवी, चचेरा दादा गोपाल महतो एवं बुधन महतो का नाम दर्ज किया गया है। यह भी उल्लेखित करना भी आवश्यक है कि अंचल अधिकारी चतरा को यह सोचना चाहिए था कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र के द्वारा अपने पिता, चाचा, चाची, दादा के नाम से रिटर्न नहीं भरा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि कथित रिटर्न फर्जी एवं बनावटी है जो भूमि हड़पने की मंशा से तैयार किया गया हैं। यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–04/2016–17 में सिर्फ अंचल हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया था। यह है कि कथित दाखिल रिटर्न जो हिरालाल महतो के द्वारा भरा गया है जिसमें उनके पिता, चाचा, चाची, एवं चेचरा दादा को खेवटदार का वंशज बताया गया है परंतु खेवट संख्या का उल्लेख नहीं किया गया हैं। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद संख्या–04/2016–17 में पारित आदेश एवं संलग्न कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार आवेदक का आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। खेवट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि खाता संख्या–152 खेवट संख्या–03

की भूमि है, जो मानिक महतो, कोमल महतो, मंगर महतो, गोपाल महतो बुधन महतो, सभी के पिता हरलाल महतो एक हिस्सा ब–हिस्सा बराबर एवं लालो महतो उर्फ लालमन महतो, पिता–रंगु महतो एक हिस्सा ब–हिस्सा बराबर बकारत दर्ज है। इस प्रकार खेवट के आधार पर भी अंचल अधिकारी यह भी देख सकते थे कि हिरा लाल महतो (अकेले), पिता–छतर महतो को रिटर्न भरने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह कथित रिटर्न के आधार पर भी आवेकद का आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। यह है कि खेवटदार के सभी वंशज के अनुपस्थिति में आवेदक निर्मलचन्द्र यादव का आवेदन पोषणीय नहीं था। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा लिखित कथन तथा बहस को ध्यान नहीं दिया गया है तथा मनमानी आदेश पारित कर दिया गया है। निम्न न्यायालय को यह भी देखना चाहिए था कि आवेदक के पूर्वज बढ़न महतो के द्वारा अपने हिस्से की जमीन का सेल डीड निर्गत किया गया है, इस तरह खेवटदार लालु महतो उर्फ लालमन महतो के वंशजो के हिस्से वाली भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश अनुचित है। अंचल अधिकारी द्वारा आवेदक को लाभ पहूँचाने की मंशा से पूरी बनावटी आदेश पारित किया गया है। यह है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण मकान बना कर निवास कर रहे है। अंचल अधिकारी द्वारा दखल कब्जा को भी नजरअंदाज किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी दखल कब्जा के आधार पर भी विपक्षीगण के पक्ष आदेश पारित कर सकते थे। यह है कि राजस्व न्यायालयों में आदेश पारित करने का मूल आधार दखल कब्जा होता है। यह है कि खेवट के आधार पर अचंल अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि प्रश्नगत भूमि में विपक्षीगण का आधा हिस्सा होता है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के के द्वारा अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–24.10. 2018 को पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–यह कि अपीलार्थीगण अंचल अधिकारी, चतरा के वाद संख्या–23/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध अपील वाद संख्या 111/2018–19 श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगण एक ही पुरखा हेमराज महतो के उत्तरजीवी है जो अपीलार्थीगण के लिखित बहस की सूची ए में वंशावली बनाया गया है। यह कि अपीलार्थीगण के

वाद का सरांश निम्नलिखित है:- (अ) यह कि खाता सख्या 152 खेवट सख्या 3 के खेवटदार महतो वगैरह हैं जो खतियान में बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है। यह कि खेवट सख्या 3 खेवटदर मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपाल महतो वो मंगल महतो वो बुधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर, वो लालू महतो वल्द रंगु महतो एक हिस्सा कौम ग्वाला साकिनदेह दर्ज है। यह कि खेवट सख्या 2/14 के अंदर खाता संख्या 82 कुल प्लॉट 27, कुल रकवा 46.47 एकड भूमि है जो ग्राम किशुनपुर में स्थित है जिसके खेवटदार मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपल महतो वो मंगर महतो वो बुधन महतो सभी पिता हिरालाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर, वो लालू महतो पिता रंगु महतो एक हिस्सा वो मसो0 मुंगिया पति धनु महतो एक हिस्सा। यह कि खाता संख्या 88 खेवट संख्या 2/14 कुल प्लॉट संख्या 7 एकड 73 डी0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है जिसका खेवट सख्या 2/14 है, जिसके खेवटदार मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपाल महतो वो मंगर महतो वो बुधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर, लालू महतो पिता रंगु महतो एक हिस्सा मो मसो0 मुंगिया देवी पति धनु महतो एक हिस्सा दावेदारी है। अर्थात खेवट संख्या 2/14 के खाता संख्या 88 एवं 82 में एक हिस्सा का दावेदार मसो0 मुंगिया है। खाता संख्या 152 खेवट संख्या 3 से मसो0 मुंगिया का कोई सरोकार नहीं है। खाता संख्या 152 में केवल हरलाल महतो के पुत्र एवं लालू महतो के ही दावेदारी है जो दोनों आधा हिस्सा की दावेदारी है। यह कि वर्तमान समय में खाता संख्या 152 विवादित है जिसका अपील श्रीमान् के न्यायालय में लंबित है। खाता संख्या 82 एवं 88 से संबंधित कोई विवाद नहीं है। यह कि वर्तमान समय में अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल विविध वाद अपील संख्या 111/2018-19 खाता संख्या 152 खेवट सख्या 3 से संबंधित है। खेवट संख्या 3 के अनुसार खेवट सख्या 3 के दावेदारी केवल मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपाल महतो वो मंगर महतो वो बुधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर तथा लालु महतो पिता रंगु महतो एक हिस्सा है। अतः खेवट संख्या 3 के अनुसार केवल दो व्यक्तियों का हिस्सा बनता है। हरलाल महतो के लडके एवं लालु महतो के उत्तरजीवी जो वर्तमान में अपीलार्थीगण हैं। यह कि खाता संख्या 152 खेवट संख्या 3 सर्वे खतियान बकास्त लगान

पाने वाला दर्ज है। मध्यवर्ती भू स्वामी मानिक महतो वगैरह है। अतः खेवट संख्या 03 खाता संख्या 152 कुल रकवा 4 एकड 73 डी0 भूमि है जिसमे 2 एकड 36½ डी0 भूमि हरलाल महतो का होता है तथा उनके उत्तरजीवी दावा करेंगे तथा 2 एकड 36 ½ डी0 का दावेदारी रंगु महतो एवं उनके उत्तरजीवी का होता है। चूंकि खेवट संख्या 3 केवल हरलाल महतो के पुत्रो एवं रंगु महतो के पुत्र नाम पर बना है। इसमें मसो0 मुंगिया नहीं है। यह कि खाता संख्या 152 में पूर्व से झमन महतो पिता लालु महतो उर्फ लालो महतो, द्वारिका महतो पिता पनु महतो के नाम रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 260/1 पर दर्ज होकर 2.36 ½ एकड का डिमांड चल रहा था। यह कि प्रवीण यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर अंचल चतरा में शपथ पत्र से संपुष्ट आवेदन दाखिल किये जो निम्न प्रकार है:– "निवेदन पूर्वक कहना है कि मौजा किशुनपुर थाना नं0 185, थाना चतरा के अंदर खाता संख्या 152 प्लॉट संख्या 1126 रकवा 4 ए0 73 डी0 मधे रकवा 2 ए0 36 ½ डी0 जमीन मेरे परदादा लालो महतो उर्फ लालु महतो उर्फ लालमन महतो पिता रंगु महतो के नाम सर्वे खेवट संख्या 3 के अंदर सर्वे खतियन मे बकास्त दर्ज है, जिसका सरकारी रसीद मेरे चचेरे दादा झमन महतो वो मेरे पिता द्वारिका महतो के नाम मांग पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर दर्ज होकर निर्गत होते चले आ रहा था, लेकिन दादा वो पिताजी के मृत्यु के पश्चात् रसीद निर्गत नहीं करवा सके। यह है कि उपरोक्त भूमि पर मेरा मकान बना हुआ है, जिसमें बाल बच्चों के साथ रहकर भरण पोषण करते चले आ रहे है जो मेरा मौरूषी जायदाद है। जो दखल कब्जा में है। यह है कि अंचल अधिकारी, सदर चतरा के द्वारा विविध वाद संख्या–04/2016–17 खोलकर अचंल कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें हल्का कर्मचारी अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक–21.06.2016 अंचल अधिकारी के समक्ष समर्पित किये जो निम्न प्रकार है – सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या–152, सर्वे बकास्त खाते की भूमि है, जिसका खेवट संख्या–03 एवं भू–स्वामी का नाम मानिक महतो वगैरह सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 का अवलोकन किया। पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर झमन महतो एवं द्वारिका महतो, पिता–लालो महतो वो पन्नु महतो के नाम खाता संख्या–152, रकवा–2 एकड़ 36 1/2 डी0 लगान 3.00 रूपये अ0शेष दर्ज है। वर्तमान मे इस जमाबंदी में रकवा 2.00 एकड़ 16 1/2 डी0 एवं लगान 2.25 पैसा अ0 शेष बचा

हुआ है जिसकी लगान रसीद संख्या–107766, दिनांक–31.03.1976 एवं रसीद संख्या–107772, दिनांक–31.03.1976 लगान वसूली की गई है, जिसका प्रतिलिपि पंजी 2 पर दर्ज है। वर्ष 1976–77 से लगान बकाया है। यह है कि अंचल अधिकारी, सदर चतरा हल्का राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवदेन के आलोक मे दिनांक–15.07.2016 को अंचल अधिकारी, चतरा के द्वारा झमन महतो, पिता–लालो महतो एंव द्वारिका महतो, पिता–पन्नु महतो के नाम पर बकाये तिथि से लगान लेकर रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किये। अचंल अधिकारी, चतरा आदेश दिनांक–15.07.2016 निम्न प्रकार है–"प्रथम पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष को सुना। मूल कागजातों को देखा। अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं हल्का कर्मचारी एव अंचल निरीक्षक के प्रवितेदन का अवलोकन किया। हल्का राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–किशनपुर के खाता संख्या–152 सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है, जिसका खेवट संख्या–03 एवं भू–स्वाकमी का नाम मानिक महतो वगैरह सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर झमन महतो एवं द्वारिका महतो, पिता–लालो महतो वो पन्नु महतो के नाम खाता संख्या–152, रकवा–2 एकड़ 36 1/2 डी0 लगान 3.00 रूपये अ0शेष दर्ज है। वर्तमान में इस जमाबंदी में रकवा 2.00 एकड 16 1/2 डी0 एवं लगान 2.25 पैसा अ0 शेष बचा हुआ है जिसकी लगान रसीद संख्या–107766, दिनांक–31.03.1976 एवं रसीद संख्या–107772, दिनांक–31.03.1976 लगान वसूली की गई है, जिसका प्रविष्टि पंजी 2 पर दर्ज है। वर्ष 1976–77 से लगान बकाया है। आवेदक ने रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है अतः हल्का राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व हित में पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर कायम जमाबंदी को नियमित करते हुए बकाये के तिथि से लगान लेकर लगान रसीद निर्गत करें। यह है कि अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक–15.07.2016 के विरोध में विपक्षी निर्मलचन्द यादव वगैरह के द्वारा आवेदन उपायुक्त महोदय, चतरा को दिया गया जो निम्न प्रकार है :– "महाशय, चतरा सदर अंचल के अधिकारी को अंधेरे में रखेत हुए सदर अंचल के कर्मचारी रौशन कुजूर एवं प्रधान सहायक कृष्ण प्रसाद के मिली भगत से जमीन का अवैध कार्य हो रहा है। यदि किसी रैयत के रसीद में खाता छुट गया है तो सुधार न कर उस जमीन की खाते को जाली रसीद बनावकर गलत व्यक्ति के नाम

पर से खाता चढ़ाकर स्वीकृत कर दिया जा रहा है। इस कार्य में कर्मचारी रौशन कूजूर एवं प्रधान सहायक कृष्णा प्रसाद द्वारा लाखो रूपया का लेन देन कर रहे है। उदाहरण के रूप में नगरपालिका के अन्तर्गत किसनुपर वार्ड संख्या–15 में गोपाल महतो तथा बुधन महतो के नाम से रसीद निर्गत है लेकिन कर्मचारी के गलती से एक खाता 152 छुटा हुआ है, रिटर्न के साथ आवेदन दिया गया है जिसमें खाता दर्ज है। अंचल अधिकारी को आवेदन के बाद कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के सही जांच रिपोर्ट के बाद भी सही खाता दर्ज नहीं किया गया, उसी खाता को लाखो रूपये लेकर जाली रसीद के द्वारा बिना जॉच किये नया रसीद झमन महतो के नाम से खाता नं0 152 रकवा–02 एकड़ 36.5 डी0 का रसीद निर्गत कर दिया गया है जो गलत है। जबकि पूर्व से ही यह खाता नं0 82 एवं 152 कुल रकवा–9.07 डी0 झमन महतो पिता लालो महतो के नाम से कटता चला आ रहा है जो कि जॉच होने पर स्पष्ट हो जायेगा। इस कार्य में मुख्य भूमिका के रूप में प्रवीण यादव पिता–द्वारिका यादव साकिन किशुनपुर थाना चतरा, जिला–चतरा प्रधान सहायक, कृष्णा प्रसाद तथा सदर कर्मचारी रौशन कुजुर का है। इस तरह इस जमीन को रैयतों को बेदखल कर अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया जा रहा है।'' यह कि विपक्षी निर्मलचन्द यादव के आवेदन पर उपायुक्त महोदय, चतरा ने उक्त आवेदन को अपर समाहर्त्ता, चतरा के समक्ष जॉच हेतु भेजा दिया गया था जिसमें अपर समाहर्त्ता, चतरा ने अपने पत्रांक–333/रा0, दिनांक–29.03.2017 के द्वारा आदेश करते हुए अंचल अधिकारी, चतरा को आदेशित किये जो निम्न प्रकार है –''यह उल्लेखनीय है कि प्रथम पक्ष का आवेदन अंचल अधिकारी, चतरा को दिनांक–27.12.2015 को प्राप्त हुआ था उस आवेदन में मौजा–किसुनपर के खाता संख्या–152 का उल्लेख है। विपक्षी प्रवीण यादव का आवेदन अंचल अधिकारी, चतरा को दिनांक–15.03.2016 को प्राप्त हुआ था उस आवेदन में भी मौजा किसुनपुर के खाता संख्या–152 का उल्लेख हैं । प्रथम पक्ष का आवेदन पूर्व में दिए जाने के उपरांत भी उक्त आवेदन पर अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा उक्त आवेदन को लंबित रखते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा बाद में दिए गए आवेदन पत्र पर आदेश पारित किया जाना वो भी बिना प्रथम पक्ष के सुनवाई के प्रथम दृष्ट्या गलत प्रतीत होता है। दाखिल किये कागजातों से यह भी स्पष्ट है कि खाता संख्या–152 के संबंध में पूर्व में ही व्यवहार न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित किया गया

है। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा विविध वाद न0 04/2016-17 में दिनांक-15.07.2016 को पारित आदेश को तत्काल स्थगित रखते हुए अंचल अधिकारी, चतरा को निदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर देते हुए उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत अपना विधिवत् आदेश करें।" यह है कि अंचल अधिकारी, चतरा ने अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक- 333/रा0, दिनांक-29.03.2017 के आलोक में अंचल अधिकारी विविध वाद सख्या-23/2017-18 खोलकर आदेश पारित किये जिसमें विविध वाद संख्या-04/16-17 दिनांक-15.07.2016 में पारित आदेश अपास्त घोषित करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को स्थगित कर दिया तथा ऑनलाईन जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। यह है कि गौरतलब हो कि अपर समाहर्त्ता, चतरा अपीलीय पदाधिकारी है वे बिना अपील के कोई आदेश पारित नहीं कर सकते है, चूँकि अपर समाहर्त्ता, चतरा का पत्रांक-333/रा0, दिनांक-29.03.2017 का आदेश अपर समाहर्त्ता का पोषणीय नहीं है तथा अपर समाहर्त्ता, चतरा का पत्रांक-333/रा0, दिनांक-29.03.2017 के आलोक में अंचल अधिकारी, चतरा को पूर्व के अंचल अधिकारी, चतरा के आदेश दिनांक-15.07.2016 वाद संख्या-04/2016-17 के आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है। The Hon'ble Jharkhand Court in its judgement in WPC 7160 of 2011 dated 07.11.2019 has decided about the jurisdiction of collector, LRDC, SDO and Anchal Adhikari in which it has been mentioned that :- Bihar (now Jharkhand) Tenant's Holding (maintenance of Record)Act, 1973- section 14,15 and 16- mutation power/jurisdiction of nay authority is conferred by statute and same not be exercised in absence of any such power conferred by virtue of statute- original for receiving requisition anddisposingof mutation case is circle officer-Land Reforms Deputy Collector is appeallate authority under section 15 of Act, 1973 and Collector is revisional authority in terms with Section 16 of Act- Sub Divisional Officer is officer in Charge of civil administration of Sub- division of a district for the purpose of the Act, however, Sub divisional officer is not an authority under the provisions of Sections 14, 15 and 16 of Act, 1973- sub

divisional officer has erroneously assumed his jurisdiction on present issue-order passed by sub divisional officer quashed for want of jurisdiction- circle directed to pass order on application for mutation filed by petitioner on its own merit in accordance with law. यह है कि विपक्षी निर्मलचन्द यादव वगैरह ने अपीलार्थी प्रवीण यादव की भूमि को हड़पने की नियत से वे लोग एक जाली रिटर्न अपने पिता हिरालाल महता वल्द छतर महता के नाम पर जमा किये जिसका केश नं0स–100 / 1957–58 है जो किस न्यायालय से निकाला गया है उसका कोई जिक्र नहीं है। क्षतिपूर्ति वाद संख्या–100 / 1957–58 का जाली प्रमाण पत्र निम्न प्रकार है – यह है कि खाता संख्या–82, 152 खतियानी भूमि है और खतियानी रैयत का रिटर्न नहीं दिया जा सकता है। हीरालाल महतो अपने क्षतिपूर्ति वाद संख्या–100 / 1957–58 में अपने दादा गोपाल महतो, बुधन महतो वो अपने पिता छतर महता को रैयत बनाये हैं, जबकि हीरालाल महतो छतर महता के पुत्र तथा गोपाल महतो, बुधन महतो सभी खेवटदार है जिसके रिश्ते में हिरालाल महतो पोता है। मसो0 फगुनी देवी जो भीखन महतो की पत्नी है उसे अपने जाली रिटर्न के क्रमांक नं0 31 में मसो0 दिखाये हैं जबकि भीखन महतो वोटर लिस्ट 01.01.1971 के अनुसार क्रमांक संख्या 1738 पर फगुनी देवी पति भीखन महतो दर्ज है। अर्थात भीखन महतो सन 1971 तक जीवित थे। यह कि सबसे सोचनीय बिन्दु तो यह है कि खाता सख्या 152 की कुल रकवा 4 एकड़ 73 डी0 जिसका खेवट संख्या 3 के अनुसार हरलाल महतो को 2 एकड 36½ डी0 एवं रंगु महतो को 2 एकड़ 36½ डी0 होता है। अपीलार्थी रंगु महतो के वंशज हैं। तथा विपक्षी निर्मलचंद यादव वगैरह हरलाल महतो के वंशज हैं। उसी प्रकार खाता संख्या 82 खेवट संख्या 2 / 14 में हरलाल महतो, धनु महतो और रंगु महतो तीनो का हिस्सा बराबर है। खाता संख्या 82 का कुल रकवा 46.67 एकड है। अतः खाता 152 एवं 82 का शेयर निम्न प्रकार होता है। हरलाल महतो का हिस्सा खाता संख्या 152 में 2 एकड 36½ डी0 एवं खाता संख्या 82 में 15 55½ डी0 कुल मिलाकर 17 एकड 92 डी0 होता है। मसो0 मुंगिया पति धनु महतो केवल खाता संख्या 82 के हकदार हैं, उनकी हिस्सा 15 एकड 56½ डी0 होता हैं। रंगु महतो को खाता 152 में 2 एकड़ 36½ डी0 तथा खाता संख्या 82 में 15 55½ डी0 कुल रकवा 17 एकड 92 डी0 हिस्सा होता है। अर्थात खाता

संख्या–82 एवं 152 से हरलाल महतो के वंशज का 17 एकड 92 डी0 हिस्सा होता है एवं रगु महतो के वंशज को खाता संख्या 82 एवं 152 से 17 एकड 92 डी0 हिस्सा होता है, जबकि मसा0 मुगिया पति धनु महतो केवल खाता 82 के हकदार है, उनका 15 एकड 55½ डी0 होता है तो फिर हीरालाल यादव अपने जाली रिटर्न मे किस आधार पर रगु महतो के पोता झमन महतो को खाता संख्या 152 एवं 82 दोनो मिलाकर 9 एकड 7 डी0 का जाली रिटर्न बनाते है। हीरालाल महतो के नाम का जाली रिटर्न बनाने का मुख्य उदेश्य था अपीलार्थी के भूमि को हड़पना। जबकि द्वितीय पक्ष निर्मलचन्द यादव अपने लिखित बहस जो अंचल अधिकारी के समक्ष 16/7/2018 के पारा 13 मे स्वीकार किया है कि रगु महतो के वारिसान विपक्षी प्रवीण यादव के पिता वो दादा को तिसरा हिस्सा होता है। यह कि विपक्षी निर्मलचन्द यादव के द्वारा दाखिल जाली क्षतिपूर्त वाद संख्या 100/1957–58 की सत्याता की जाँच हेतु मूल रिटर्न अंचल कार्यालय से मांगने का आदेश अपीलार्थी के द्वारा दिये गये आवदन के आलोक मे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के द्वारा दिनांक–03.02.2021 को आदेश फलम में आदेशित किया गया कि द्वितीय पक्ष समर्पित रिटर्न की छायाप्रति की सत्यता के संबंध में अंचल अधिकारी, चतरा को सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत करें" पुनः दिनांक 14.03.2021 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता महोदय के द्वारा आदेश पारित किया गया। "सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी चतरा को स्मार पत्र निर्गत करें" जिसके आलोक में पत्रांक 48 दिनांक–04.02.2021 एवं पत्रांक संख्या 130 दिनांक 24.03. 20021 से स्मार पत्र अंचल अधिकारी को भेजा गया। यह कि पत्रांक 48 दिनांक 04.02.2021 एवं 130 दिनांक 24.03.2021 के आलोक में अंचल अधिकारी चतरा के द्वारा क्षतिपूर्ति वाद संख्या 100/1957–58 हीरालाल यादव के नाम पर बनाया गया था उस पर रिपोर्ट भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में अंचल अधिकारी, चतरा के द्वारा पत्रांक 337 दिनांक 07.04.2022 को रिपोर्ट दाखिल किया गया जो निम्न प्रकार है:–उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र से श्री निर्मल चंद यादव (अधिवक्ता) ग्राम किसुनपुर का आवेदन जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने के निदेश के साथ प्राप्त है। आवेदक द्वारा आवेदन में मौजा किसुनपुर के श्री हीरालाल महतो द्वारा दाखित रिटर्न की मांग की जा रही है। उक्त रिटर्न की खोज अंचल कार्यालय के कर्मियों द्वारा की गई

परंतु रिटर्न कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 1161 दिनांक 24.11.2021 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, चतरा को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया था। आवेदक द्वारा श्री हीरालाल महतो द्वारा दाखिल रिटर्न की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति दाखिल की गई है। उक्त रिटर्न वर्ष 1959 में अंचल कार्यालय में पदास्थापित प्रधान सहायक श्री लोकनाथ सहाय के हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति निर्गत की गई है। परंतु वेतन पंजी के अवलोकन में स्पष्ट होता है कि वर्ष 1959 में प्रधान सहायक या सहायक के रूप में श्री लोकनाथ सहायक पदस्थापित नहीं थे। आवेदक द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप बुबुनियाद एव तथ्यहिन है।" यह कि अंचल कार्यालय चतरा के पत्रांक 337 दिनांक 07.04.2022 के रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि निर्मल चंद यादव के द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल रिटर्न जाली है। उस रिटर्न को बनाने का मुख्य उद्देश्य अपीलार्थी के भूमि को हडपना है। यह कि द्वितीय पक्ष अपने लिखित जवाब के पैरा 6 में व्याख्या किया है कि प्रथम पक्ष के दादा जिनके नाम हीरालाल महतो के द्वारा जाली रिटर्न में दर्शाया गया है कि उसमें झमन महतो के नाम पर 9 एकड़ 7 डी0 भूमि दिया गया है जबकि झमन महतो रंगु महतो के वंशज हैं जो खाता 152 खेवट 3 में आधे का हिस्सेदार हैं तथा खाता संख्या 82 एव 88 में एक तिहाई का हिस्सेदार हैं जबकि रंगु महतो के पुत्र लालु उर्फ लालमन महतो एवं लालो महतो के पुत्र झमन महतो के नाम पर रिटर्न में केवल 9 एकड़ 7 डी0 जाली रिटर्न में दिया गया । इतना ही नहीं मसो0 मुगिया नाबल्द मृत्यु प्राप्त किया है जिसके चलते रंगु महतो के उत्तराधिकार खाता संख्या 82, 88 में आधे का हिस्सेदार हैं तथा हरलाल महतो के उत्तरजीवि जो वर्तमान में द्वितीय पक्ष है, खाता 88 एवं 82 में आधे के हिस्सेदार है। अतः खाता संख्या 152 की कुल रकवा 4 एकड़ 73 डी0 है। खाता संख्या 82 की कुल रकवा–46 एकड 67 डी0 है। खाता सख्या 88 की कुल रकवा 7 एकड 73 डी0 है। कुल भूमि 59 एकड 13 डी0 होता है जिसमें 29 एकड 56½ डी0 हरलाल महतो के वंशज को जो द्वितीय पक्ष हैं को होता है एवं 29 एकड़ 56½ डी0 भूमि रंगु महतो के वंशज को होता है। लेकिन हरलाल महतो के वंशज हीरालाल महतो पिता छतर महतो के नाम से द्वितीय पक्ष ने एक जाली रिटर्न बनाकर उसमें रंगु महतो के वंशज झमन महतो के नाम पर

9 एकड़ 07 डी० भूमि रिटर्न में चढ़ाकर बचे शेष भूमि 19 एकड़ 86½ डी० एकड़ भूमि को हड़प गये और द्वितीय पक्ष 19 एकड़ 86½ एकड़ भूमि को हड़पन के उद्देश्य से एक जाली रिटर्न क्षतिपूर्ति वाद संख्या 100 / 1957–58 तैयार किया था और जिसके आधार पर अपीलार्थी की भूमि को हड़प गये। अतः रंगु महतो के वंशज को 59 एकड़ 13 डी० में मात्र 09 एकड़ 07 डी० भूमि किस कागज के आधार पर हीरालाल महतो रिटर्न में भरकर दिये इसका कोई कागजी प्रमाण द्वितीय पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि रंगु महतो के वंशज 59 एकड़ 13 डी० भूमि का हिस्सेदारी आधा में 29 एकड़ 56½ डी० होता है और यदि खाता 82 और 88 में हिस्सा एक तिहाई माना जाय तो 17 एकड़ 92 डी० का हकदार होता है तो फिर 9 एकड़ 7 डी० भूमि रंगु महतो के वंशज को मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या है यह सोचनीय बिन्दु है। यह कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज दिनेश्वर यादव ने अपने जाली रिटर्न को सही बनाने के उद्देश्य से झमन महतो के द्वारा समुंद्री देवी पति बौध यादव के नाम पर बिक्रय पत्र संख्या 6467 दिनांक 14.12.1994 को बिक्रय करवाये जिसके रिसाईटल में बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि लिखवाये। चुंकि उस समय घर के कर्त्ता पुरूष दिनेश्वर यादव थे तथा प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष में किसी प्रकार कोई लिखित बंटवारा नाप जोखकर न हुआ था ना ही हुआ है और झमन महतो पढ़े लिखे नहीं थे। जिसके कारण वे बिक्रय पत्र पर अंगूठे के निशान लगाये और दिनेश्वर यादव पढ़े लिखे थे, वे बिक्रय पत्र पर अपना गवाह एवं पहचान के रूप में हस्ताक्षर बनाये थे। दिनेश्वर यादव बिक्रय पत्र पर बंदोबस्ती से प्राप्त लिखवाने के मुख्य उद्देश्य था कि हीरलाल यादव के द्वारा दाखिल रिटर्न सही माना जाय जबकि खाता 152 खयितानी भूमि है और खतियानी भूमि में बंदोबस्ती लिखवाने का कोई जरूरत नहीं था लेकिन झमन महतो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण दिनेश्वर यादव अपने रिटर्न को सही बनाने के उद्देश्य से यह नीति लागु किये। बिक्रय पत्र संख्या 6467 दिनांक 14.12.1994 की फोटो कॉपी की सूची एन अंकित किया जाता है। यह कि बताते चल कि दिनेश्वर यादव वगैरह के द्वारा बंटवारा वाद संख्या 11 / 1948 एडिशनल सब–जज, हजारीबाग के न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसमें रंगु महतो के वारीशान को पार्टी बनाया गया था तथा पॉचवा हिस्सा की मांग किया गया था जबकि रंगु महतो तीसरे हिस्से के

दावेदार थे। न्यायालय के द्वारा यह कहकर बटवारा वाद संख्या 11/1948 दिनांक 07.07.1949 को खारिज कर दिया कि मसो० मुंगिया देवी जो धनु महतो की पत्नी है, वह तिसरे हिस्से की दावेदार है जिसे इस वाद में पार्टी नही बनाया गया है, अतः पार्टी के अभाव में इसे खारिज किया जाता है। अतः बटवारा वाद संख्या 11/1948 प्रभावी नही है। जबकि अंचल अधिकारी अपने आदेश दिनांक 24.05.2018 केस संख्या 23/2017–18 मे कहे कि विपक्षी को पूर्व मे न्यायालय का आदेश निर्मल चंद्र यादव के पक्ष मे गलत है। बंटवारा वाद संख्या 11/1948 दिनांक 07.07.1949 के निर्णय को सूची एन/1 अंकित किया जाता है। यह है कि द्वितीय पक्ष निर्मलचंद यादव ने अंचल अधिकारी चतरा के पास एक आवेदन देकर व्याख्या किये कि रजिस्टर 2 के पंज संख्या 221/1 पर गोपाल महतो, पिता हरिलाल महतो के नाम पर 4 एकड 62 डी० जिसका खाता संख्या 82 है कि रसीद कट रहा है, परंतु खाता संख्या 152 छुटा हुआ है एवं बुधन महतो के नाम पर खाता संसख्या 82 का रकवा 4 एकड 63 डी० रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 222/1 पर रसीद कट रहा है परंतु रिटर्न के आधार पर 152 छुटा हुआ है जबकिक रिटर्न अंचल अधिकारी के पत्रांक 333 दिनांक 29.03.2017 से अवैध घोषित हो चुका है। चूंकि मुल रिटर्न अंचल कार्यालय, चतरा मे नहीं है जबकि विपक्षी निर्मलचंद यादव के भाई अभिमन्यु कुमार यादव वर्तमान समय मे पत्रकार है जिसके चलते अंचल स्टॉफ उनके मेल मे आकर आदेश फलक दिनांक 28.08.2016 केस संख्या 23/16–17 मे वर्णित किया कि " प्रथम पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष को सुना कागजात की मांग किया, सिर्फ रिटर्न की छायाप्रति प्रस्तुत किया। प्रश्नगत भूमि मे खाता संख्या 152 मे कितना भूमि आवेदक के पक्ष मे प्राप्त है कि संबंध की कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।" जबकि अंचल अधिकारी दिनांक 19.10.2016 को निर्मल चंद यादव के भाई अभिमन्यु कुमार यादव पत्रकार है, के मेल मे आकर अपने आदेश मे व्याख्या किये कि " रिटर्न को मुल अभिलेख से मिलान किया" जबकि सच्चाई यह है कि क्षतिपूर्ति वाद संख्या 100/57–58 केवल निर्मलचंद यादव के पास बनावटी है और इसका मुल प्रति अंचल मे नही है जिसकी सत्यता अंचल अधिकारी चतरा ने पत्रांक 337 दिनांक 07.04.2022 के रिपोर्ट के अनुसार बताये कि रिटर्न वर्ष 1959 मे अंचल कार्यलय मे पदस्थापित प्रधान सहायक श्री लोकनाथ सहाय के हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति निर्गत की गई। परंतु

वेतन पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1959 में प्रधान सहायक या सहायक के रूप में श्री लोकनाथ सहाय पदस्थापित नहीं थे। जिससे स्पष्ट होता है कि रिटर्न जाली है जो अंचल स्टॉफ को मिलाकर पत्रकार अभिमन्यु कुमार यादव के मेल में आकर दिनांक 19.10.2016 को गलत आदेश पारित करवाकर खाता संख्या 152 की भूमि गोपाल महतो एवं बुधन महतो के नाम पर रिटर्न के अनुसार रसीद निर्गत करने का आदेश पारित करवा लिए जो गलत है। चूंकि गोपल महतो के रजिस्टर 2 के पेज संख्या 221/12 एवं बुधन महतो के रजिस्टर 2 के पृष्ठ संख्या 222/12 पर खाता संख्या 82 के अलावे अन्य खाता नहीं है। गोपाल महतो एवं बुधन महतो के रजिस्टर 2 की फोटो कॉपी की सूची ओ अंकित किया जाता है। यह कि द्वितीय पक्ष के जाली रिटर्न होने के उपरांत अपीलार्थी के द्वारा धारा 340, 344 अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दाखिल किया गया जो अभिलेख पर उपलब्ध है। जिस पर विद्वान न्यायालय के द्वारा अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया। **As per Hon'ble Apex Court held -:** Criminal Procedure Code, 1860-Sections 181 abd 182 Marking false statement on oath is offence punishable under section 181 of IPC while furnishing false information with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another person is punishable unber section 182 of the IPC These offence by virtue of section 195 (1) (a) (i) of code can be taken cognizance of by any court only upon a proper complaint in writing as stated in said section suo motu contempt notice issued to petitioner. Reported in 2020 (1) JBCJ Page 107 SC को सूची पी अंकित किया जाता है। यह कि अंचल अधिकारी चतरा ने अपर समाहर्त्ता चतरा के पत्रांक 333 दिनांक 29.03.2017 के आलोक में खाता संख्या 152 विविध वाद संख्या 04/16-17 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 को रद्द नहीं कर सकते थे चूंकि अपर समाहर्त्ता अपीलीय पदाधिकारी है और निर्मलचंद यादव के द्वारा कोई अपील अपर समाहर्त्ता के समक्ष दाखिल नहीं किया गया था। अतः अपर समाहर्त्ता के पत्रांक 333 दिनांक 29.03.2017 से अंचल अधिकारी चतरा को आदेशित किया गया था कि दोनों पक्षों के सुनने एवं कागजात के अवलोकन के पश्चात् उचित आदेश पारित किया जाय। जब कि अंचल अधिकारी,

चतरा के द्वारा अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 333/रा0 दिनांक 29.03.2017 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जाँच एवं सुनवाई कर विविध वाद संख्या 4/16–17 में दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश को अपास्त घोषित किया गया परंतु अंचल अधिकारी, चतरा अपने आदेश दिनांक 24.10.2018 विविध वाद संख्या 23/17–18 निर्मलचंद यादव बनाम प्रवीण यादव में यह कहते हुए आदेश पारित किये कि अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 333 दिनांक 29.03.2017 के पारित आदेश के उपरांत अपास्त घोषित करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को स्थगित किया जाता है। तथा ऑन लाईन कायम जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है कि सरासर न्याय से परे है। अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 333 दिनांक 29.03.2017 के आलोक में ना तो अंचल अधिकारी चतरा के द्वारा उक्त रिटर्न की कोई विधिवत जाँच किया गया और ना ही कागजात का सही अवलोकन किया गया बल्कि द्वितीय पक्ष निर्मलचंद यादव के भाई पत्रकार अभिमन्यु कुमार यादव के मेल में आकर गलत आदेश पारित कर दिये जो सरासर गलत और न्याय से परे है। अतः पूर्व में अंचल अधिकारी, चतरा का आदेश दिनांक 15.07.2016 विविध वाद संख 4/16–17 के अंतर्गत झमन महतो एवं द्वारिका महतो के नाम पर 2 एकड़ 16½ डी0 को निर्गत करने का आदेश पारित किया गया था वो सत्य एवं सही है चूंकि झमन महतो और द्वारिक महतो को खाता संख्या 152 में 36½ डी0 होता है जिसमें झमन महतो के द्वारा 20 डी0 भूमि पूर्व में बिक्रय किया गया था जिसके उपरांत मात्र 2 एकड़ 16½ डी0 भूमि बचता है जिसे अंचल अधिकारी चतरा के द्वारा जाँचोपरांत रसीद काटने का आदेश पारित किया गया था वो सत्य एवं सही था। उसे किसी भी दृष्टिकोण से अपास्त करने का कोई आधार नहीं था। अतः अपीलार्थी का अपील न्यायहित में स्वीकार कने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विद्व अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–"यह कि यह मामला दोहरी जमाबंदी से संबंधित है। दोनों जमाबंदी एक ही नाम से है जिसका पृष्ठ संख्या–254, खाता संख्या–82, 152 तथा दूसरा पृष्ठ संख्या–260 खाता संख्या–152 है। यह कि श्रीमान अंचल अधिकारी के न्यायालय विविध वाद संख्या–23/2017–18 में पारित आदेश दिनांक–24.10.2018 पूर्णतः

न्यायपूर्ण एवं विधिसम्मत् है। यह कि अंचल न्यायालय द्वारा कार्यालय में उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं पंजी 2 के अवलोकन व निरीक्षण के पश्चात् आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतः न्यायसंगत है। यह कि अभिलेख एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष प्रवीण यादव द्वारा फर्जी दस्तावेजों एवं रसीदों के आधार पर कार्यालय को भ्रमित कर पंजी 2 में छेड़छाड़ कर तथ्यों को छुपाकर विविध वाद संख्या–04/16–17 में झमन महतो के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी को 15.07.2016 को पूर्व अंचल अधिकारी से करा लिया जिसका पृ०सं०–260 है। यह कि श्रीमान् उपायुक्त, चतरा के द्वारा आदेश पर श्रीमान् अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल कार्यालय में उपलब्ध कागजातों एवं दस्तावेजों की जांचकर उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। यह है कि न्यायालय श्रीमान् अंचल अधिकारी, चतरा दोनों पक्षों को अपना–अपना दस्तावेजों को देखने व अवलोकन करने तथा सुनवाई करने के पश्चात् विविध वाद संख्या–23/2017–18 में दिनांक–24.10.2018 को आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधिसम्मत् एवं सही है तथा फर्जी पृष्ठ संख्या–260, खाता संख्या–152, झमन महतो को निरस्त किया गया है। यह कि अपीलार्थी का दावा सरासर गलत है तथा अंचल अधिकारी द्वारा न्याय को ध्यान में रखते हुए श्रीमान अपर समाहर्त्ता के निर्देश के आलोक में दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसे न्यायहित में बहाल रखा जाना आवश्यक है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।"

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेखित किया है कि–"यह है कि प्रश्नगत भूमि के बावत प्रथम पक्ष द्वारा आरिजनल सुट (बंटवारा वाद) संख्या–90/2022 श्रीमान् व्यवहार न्यायालय, चतरा में लाया गया है जो अभी लंबित है। यह कि प्रस्तुत वाद भूमि के बावत सिविल सुट लंबित रहने के कारण इस अपील वाद में किसी तरह का कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रस्तुत अपील को बंटवारा वाद संख्या–90/2022 के निराकरण होने तक स्थगित करने की कृपा की जाय एवं बंद करने की कृपा की जाय।"

प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा का विविध वाद

संख्या–04/16–17 (प्रवीण यादव) में पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा आदेश पारित किया गया है कि–"मौजा किसुनपुर के खाता संख्या–152, सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है, जिसका खेवट संख्या–03 एवं भू–स्वामी का नाम मानीक महतो वगैरह सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर डामन महतो वो द्वारिका महतो, पिता–लालो महतो वो पन्नु महतो के नाम खाता संख्या–152, रकवा–2. 36 1/2 एकड़ लगान 03 रूपये अ0शेष दर्ज है। वर्तमान में इस जमाबंदी में रकवा–2.16 1/2 एकड़ एवं लगान 2.25 पैसा अ0 शेष बचा हुआ है, जिसका लगान रसीद संख्या–107766, दिनांक–31.3.1976 एवं रसीद संख्या–107772, दिनांक–31.03.1976 को लगान वसूली की गई है, जिसका प्रविष्टि पंजी 2 में दर्ज है। वर्ष 1976–77 से बकाया है। आवेदक ने रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है। अतः हल्का राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व हित में पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर कायम जमाबंदी को नियमित करते हुए बकाये तिथि से लगान लेकर लगान रसीद निर्गत करें।"

अंचल अधिकारी, चतरा का विविध वाद संख्या–23/16–17 (निर्मल चन्द्र यादव) से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त है। इस वाद में अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा दिनांक–19.10.2016 को आदेश पारित किया गया है कि–"आवेदक का कथन है कि मौजा–किसुनपुर के खाता संख्या–152 सर्वे खतियान के अनुसार हमारे वंशज मानीक महतो का नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की है जो हमारे दखल कब्जा में है। मौज किसुनपुर खाता संख्या 152 थाना संख्या–165 का रकवा 4. 62 एकड़ पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 221/1 पर जमाबंदी गोपाल महतो, पिता–हरीलाल के नाम से कायम है पंजी 2 के खाता संख्या 82 अंकित है परंतु खाता संख्या 152 अंकित नहीं है जबकि लगान रसीद वर्ष 2012–13 तक निर्गत है रकवा भी है। पंजी 2 में खाता संख्या 152 अंकित कर रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है ठीक उसी प्रकार मौजा किसुनपुर के बुधन महतो पिता हरीलाल महतो के नाम भी पंजी 2 में जमाबंदी कायम है। जिसका सरकारी लगान रसीद भी वर्ष 1974–75 से वर्ष 2012–13 तक निर्गत है। पंजी 2 में पृष्ठ संख्या 222/1 पर भी खाता संख्या 82 अंकित है लेकिन खाता संख्या 152 अंकित नही है। दोनों जमाबंदीदार सगे भाई है और पंजी 2 पर दोनों का जमाबंदी

कायम है। परंतु खाता संख्या 152 छुटा हुआ है जबकि रिटर्न में भी दोनो भाई का नाम अंकित है और खाता संख्या 82 एवं खाता संख्या 152 अंकित है। हल्का राजस्व कर्मचारी ने भी प्रतिवेदित किया है कि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 221/1 एवं 222/1 पर क्रमशः गोपाल महतो एवं बुधन महतो दोनो पिता हरीलाल महतो का जमाबंदी कायम है। लगान रसीद निर्गत 2012-13 तक है। भूमि बकास्त खाते की है। खतियान आवेदक के पूर्वज के नाम से है। खाता संख्या 82 पंजी 2 में अंकित हैं लेकिन खाता संख्या 152 छुटा हुआ है। रिटर्न मे भी दोनो भाई का नाम अंकित है। अंचल निरीक्षक ने भी प्रतिवेदित किया है कि रिटर्न को मूल अभिलेख से मिलान किया है खाता संख्या 82 एवं 152 रिटर्न मे दर्ज है। आवेदक द्वारा टाईटल सूट संख्या 11/1948 दाखिल किया है जिसमे भी खाता संख्या 82 एवं 152 अंकित है। आवेदक ने केवाला संख्या 313 दिनांक 17.02.53 दाखिल किया है जिसमे धनु महतो की धर्मपत्नी मसो० मुगिया देवी अपनी हिस्से की भूमि भीखन महतो, दुखन महतो, खुशलाल महतो, हिरालाल महतो, जुगल महतो वो महावीर महतो को मौजा किसुनपुर मे खेवट संख्या 2/14 वो 3 एवं खेवट संख्या 2/38 वो 5 तौजी संख्या 28 बिक्रय कर दिया है जिसे आवेदक के पुर्वज क्रय कर लगान रसीद निर्गत करा रहे हैं। अभिलेख में उपलब्ध कागजात को देखने, पढने एवं सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि मौजा किसुनपुर के खाता संख्या 152 पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 221/1 एवं 222/1 में अंकित करना न्याहित में है। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 221/1 एवं 222/1 खाता संख्या 152 अंकित कर ऑनलाईन कराना सुनिश्चित करें।''

अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या-23/2017-18 (निर्मलचन्द्र यादव बनाम प्रवीण यादव) में दिनांक-24.10.2018 को अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि-श्री निर्मलचन्द यादव, पिता-श्री हीरालाल यादव एवं अन्य सा0-किशुनपुर थाना वो जिला-चतरा के आवेदन पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के पश्चात् वाद प्रारम्भ किया गया। आवेदकगण का कथन है कि द्वितीय पक्ष ने मौजा-किशुनपुर के प्लॉट संख्या-1126 के लिए जाली रसीद के आधार पर प्रश्नगत जमाबंदी ऑनलाईन अपने दादा के नाम से दर्ज करवा लिया है। इन्होने इसकी सूचना अपर समाहर्त्ता, चतरा को दिया, जिन्होने विविध वाद संख्या-4/2016-17 में दिनाक-15.07.2016 को

पारित आदेश को तत्काल स्थगित रखते हुए, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा को निर्देश दिया कि उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित करें। आवेदकगण के द्वारा अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–333/रा0, दिनांक–29.03.2017 की प्रति संलग्न किया है तथा प्रश्नगत जमाबंदी को हटाने का अनुरोध किया है। आवेदन को जाँच हेतु संबंधित हल्का कर्मचारी को दिया गया, उन्होंने अपना जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिया है। अंचल निरीक्षक ने प्रश्नगत जमाबंदी रैयत के वंशज को नोटिस करने की अनुशंसा की है। अपर समाहर्त्ता, चतरा के उपर्युक्त पत्रांक–333/रा0, दिनांक–29.03.2017 के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ है कि अपर समाहर्त्ता, चतरा ने प्रश्नगत जमाबंदी को नियमित करने से संबंधित अभिलेख विविध वाद संख्या–04–2016–17 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश को स्थगित रखते हुए निदेशित है कि उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर देकर सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित करें उक्त आदेश के आलोक में अभिलेख प्रारम्भ कर उभय पक्ष को कागजातों के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष दिनांक–24.04.2018 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की माँग की। अगले निर्धारित तिथि दिनांक–24.05.2018 को उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष की ओर से कागजातों के साथ अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष एवं विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा निर्देशित उक्त पत्र के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी को स्थगित करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया। पुनः अगले निर्धारित तिथियों को उभय पक्षों एवं इनके अधिवक्ता उपस्थित होकर पुनः कागजात प्रस्तुत किया है एवं पूरक जवाब भी द्वितीय पक्ष की ओर से दिया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने विस्तृत लिखित बहस में कहा है कि मौजा–किशुनपुर का खाता संख्या–152, प्लॉट संख्या–1126, रकवा–4.73 ए0 जमीन सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त लगान पानेवाला दर्ज है जिसके खेवटदार मानिक महतो वगैरह खेवट संख्या–03 है। इन्होंने उक्त भूमि सहित अन्य भूमि के हक एवं हिस्सा को लेकर विभिन्न न्यायालयों में निष्पादित पुराने वादों का उल्लेख किया है एवं उभय पक्ष को खेवटदार का वंशज बताया है। इनका कथन है कि आपसी घरेलु बंटवारा के आधार पर वर्ष 1957–58

31

में क्षतिपूर्ति रिटर्न दाखिल किया गया है। रिटर्न के अनुसार वही पक्षकार भूमि पर दखलकार है। रिटर्न दाखिल करते समय खाता संख्या–159 एवं 82 की कुछ भूमि छूट रह गयी थी, जिसका बाद में लगान निर्धारण किया गया तथा आपसी बटवारा के आधार पर अलग–अलग जमाबंदी भी उभय पक्ष के दादा–पिता के नाम से कायम किया गया। इन्होंने द्वितीय पक्ष के पितामह–रंगु महतो का हिस्सा एक तिहाई बताया है। प्रथम पक्ष ने कहा कि जमीन्दार द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार उनके हिस्से के लिए निर्गत लगान रसीद में रकबा तो सही था परंतु लिपिकीय भूलवश सिर्फ खाता संख्या–82 ही पंजी–2 पर दर्ज हुआ तथा खाता संख्या–152 छुट गया। उन्होंने 22.12.2015 को पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–221/1 पर छुटा हुआ खाता संख्या–152 दर्ज करने हेतु तत्कालीन अंचल अधिकारी को आवेदन दिया था, जिसे अंचल अधिकारी ने जाँच हेतु संबंधित हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक को प्रेषित किया। इसकी जानकारी होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष ने षडयंत्र के तहत गलत रसीद एवं तथ्यों को छिपाकर खाता संख्या–152 के भूमि का आधा रकबा–2.36½ ए० का प्रश्नगत जमाबंदी कायम कराते हुए दिनांक–15.07.2016 को अंचल कार्यालय से आदेश पारित करा लिया। अपने दावा के समर्थन में आगे कहा है कि रंगु महतो के वंशज द्वारिका महतो एवं झमन महतो (प्रश्नगत जमाबंदीदारों) को खाता संख्या–152 एवं 82 में कुल 9.07 ए० भूमि दाखिल क्षतिपूर्ति रिटर्न के अनुसार प्राप्त है जिसके आधार पर इनके द्वारा भूमि बिक्री किया गया है, जिसके आधार पर क्रेताओं की लगान रसीद भी निर्गत हो रही है। इसमें से केवाला संख्या–6467 वर्ष 1994 का विशेष उल्लेख किया है कि इसके द्वारा झमन यादव ने प्रश्नगत जमाबंदी से संबंधित भूमि का बिक्री इसका लगान रसीद खाता संख्या–82 वो 152 के साथ पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 के अनुसार निर्गत होना अंकित करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित किया है। क्षतिपूर्ति रिटर्न में भी द्वारिका महतो एवं झमन महतो को खाता संख्या–82 एवं 152 में कुल रकबा–9.07 ए० भूमि दर्ज है। अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रथम पक्ष ने कहा है कि द्वितीय पक्ष ने तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से प्रश्नगत जमाबंदी कायम कराकर तत्कालीन अंचल अधिकारी से दिनांक–15.07.2016 को आदेश पारित कर लिया है। अपर समाहर्त्ता, चतरा के उपर्युक्त निदेश का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी के लिए तत्कालीन अंचल अधिकारी,

कर्त्ता द्वारा दिनांक 15.07.2016 को पारित आदेश को वापस (रिकॉल) करने एवं जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है। प्रथम पक्ष ने अपने लिखित बहस में अपने दावा के समर्थन में लिखित तथ्यों से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया है। लिखित बहस में वंशावली भी दर्ज है। द्वितीय पक्ष की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक–24.05.2018 को दाखिल जवाब में प्रश्नगत जमाबंदी से संबंधित जमीन को द्वितीय पक्ष का पुश्तैनी बकास्त खाता का बताते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत नोटिस को आधारहीन कहते हुए नोटिस निर्गत किये जाने की प्रक्रिया पर आपत्ति किया है। इन्होंने भी प्रश्नगत खाता संख्या–152, प्लॉट संख्या–1126, रकवा–4.73 ए0 को सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त लगान पानेवाला मानकी महतो वगैरह खेवट संख्या–03 का बताया है खेवट में दर्ज हिस्सा का उल्लेख करते हुए द्वितीय पक्ष के परदादा लालु महतो उर्फ लालो महतो का हिस्सा 2.36% ए0 होने का दावा एवं दखल बताया है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् 2.36% ए0 भूमि का लगान बांध कर प्रश्नगत जमाबंदी कायम कर लगान बांध कर प्रश्नगत जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत होना कहा गया है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल एवं इनके पूर्वज द्वारा भूमि पर बनाये गये घर में निवास करने का उल्लेख है। इनका कथन है कि गरीबी के कारण बकाया हो गया था जिसके भुगतान हेतु द्वितीय पक्ष ने तत्कालीन अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था। आवेदन पर गहन जॉच करते हुए तथा दखल एवं मकान को देखते हुए अंचल अधिकारी ने प्रश्नगत जमाबंदी को नियमित किया तथा लगान रसीद निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि से अमन महतो ने 20 डी0 भूमि बिक्री किया है, जिसे प्रश्नगत जमाबंदी से घटाया गया है तथा क्रेता के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है। इन्होंने अपर समाहर्त्ता द्वारा दिये गये उपर्युक्त वर्णित निर्देश को न्याय के प्रतिकूल कहा है। प्रथम पक्ष को प्रभावी व्यक्ति बताते हुए कहा गया है कि वे प्रश्नगत जमाबंदी को जाली साबित करना चाहते है। इन्होंनें कहा कि जमाबंदी संख्या–254/1 पर मात्र खाता संख्या–82 ही चढ़ा हुआ था, बाद में इस पर खाता संख्या–152 एवं 88 चढ़ा दिया गया है, इसके समर्थन में इन्होंनें सूचना का अधिकार के तहत् पंजी–2 का छायाप्रति संलग्न किया है अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रथम पक्ष के आवेदन को आधारहीन बताते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को कायम रखने हेतु आदेश

पारित करने का अनुरोध किया है। द्वितीय पक्ष की ओर से खतियान एवं खेवट की छायाप्रति, कुछ लगान रसीद, सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 एवं 260/1 की छायाप्रति तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश की प्रति दिया है। दिनांक–22.06.2018 को द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथ्यों पर जोर डालते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को सही बताया है तथा कर्मचारी के प्रतिवेदन को प्रथम पक्ष के मेल से दिया गया बताया है। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त लगान पानेवाला खेवट संख्या–03 के अंतर्गत है। पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर झमन महतो, द्वारिका महतो पिता–लालो महतो, पनु महतो के नाम से खाता संख्या–152, रकबा–2.36½ ए0 शेष रकबा–2.16½ ए0 लगान–2.25 रू0 की जमाबंदी कायम थी। जमाबंदी पर प्रथम लगान रसीद संख्या–107766 दिनांक–31.03.1976 दर्ज रहने का उल्लेख किया। आदेशानुसार बकाया लगान वसुल किये जाने का आदेश अंकित है। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 पर झमन महतो, पिता–लालो महतो के नाम से खाता संख्या–82 मधे रकबा–9.07 ए0 शेष रकबा–7. 86 3/4 ए0 की जमाबंदी कायम है, इससे वर्ष 1975–76 से 2015–16 तक रसीद निर्गत है, इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि इस जमाबंदी में खाता संख्या–88 एवं 152 जोड़ा गया प्रतीत होता है। आवेदन के साथ संलग्न क्षतिपूर्ति अभिलेख की छायाप्रति का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया है कि झमन महतो के नाम से क्षतिपूर्ति अभिलेख मे खाता संख्या–82, 152 रकबा–9.07 ए0 दर्ज है, परंतु झमन महतो के नाम से दो जमाबंदी कायम है। अंचल निरीक्षक की उपस्थिति में मेरे द्वारा भी पंजी–2 का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–333/रा0 दिनांक–29.03.2017 के अनुसार विविध वाद संख्या–04/16–17 में तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी को नियमित करने एवं बकाये की तिथि से लगान वसुल करने संबंधी दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश को स्थगित किया गया है तथा पुनः उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् आदेश पारित करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी को दिया गया है, यही इस वाद का मूल विचारणी विषय है। द्वितीय पक्ष

द्वारा प्रस्तुत खतियान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विगत कैडस्ट्रल सर्वे के दौरान बकास्त लगान पानेवाला दर्ज है, जिसके खेवटदार खेवट नं0–03 उभय पक्ष के पूर्वज मानीक महतो वगैरह है। उभय पक्ष के द्वारा वंशावली प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति अभिलेख में भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा जमा किये गये रिटर्न के प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय पक्ष के चचेरा दादा झमन महतो के नाम से खाता संख्या–82 एवं 152 में कुल रकवा–9.07 ए0 का नाम दर्ज है। इसी खाता संख्या–82 एवं 152 में अन्य हिस्सेदारों के नाम से भी अलग अलग नाम एवं रकवा दर्ज है। जमाबंदी रैयत झमन महतो के द्वारा निबंधित केवाला संख्या–6467 दिनांक–22.12.1994 के द्वारा श्रीमति समुंदी देवी, पति–श्री बौध यादव को प्रश्नगत भूमि में से 20 डी0 बिक्री किया है। इस विक्रय विलेख में विक्रेता ने स्पष्ट किया है कि विक्रय भूमि (खाता संख्या–152, प्लॉट संख्या–1126, रकवा–0.20 ए0) का सरकारी रसीद खाता संख्या–82 के साथ मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254......................बन्दोबस्त हासिल है। पंजी–2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 पर हरा रंग के स्याही से झमन महतो के नाम से खाता संख्या–82 में रकवा–9.07 ए0 का जमाबंदी कायम था, जो रिटर्न में अंकित रकवा एवं नाम से मेल खाता है। इस जमाबंदी से विभिन्न नामान्तरण के कारण रकवा खारिज किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में 7.86 3/4 ए0 शेष है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत द्वारा उपर्युक्त केवाला संख्या–6467 द्वारा बिक्री भूमि का रकवा क्रेत्री के नामान्तरण वाद संख्या–983/03–04 के स्वीकृत होने के पश्चात् घटाया गया है जिसे पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–92/5 पर ले जाया गया है। पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–92/5 पर क्रेत्री समुंदी देवी के नाम से कायम जमाबंदी पर भी इसे पृष्ठ संख्या–254/1 से लाया गया अंकित है। द्वितीय पक्ष ने भी इस भूमि के विक्रय होने एवं नामान्तरण के पश्चात क्रेता के नाम से जमाबंदी कायम किये जाने का उल्लेख किया है। इनत तथ्यों से इस बात को बल मिलता है कि रिटर्न में झमन महतो के नाम से खाता संख्या–82 एवं 152 के लिए दर्ज रकवा–9.07 ए0 की जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 पर ही कायम था। इस पृष्ठ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हरा रंग के ही हल्का स्याही से इस पर खाता

संख्या–88 एवं 152 अंकित किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा आर0टी0आई0 के तहत् प्राप्त पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 की छायाप्रति दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि हरा रंग के हल्का स्याही से खाता संख्या–88 एवं 152 अंकित रहने के कारण छायाप्रति में स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कथन है कि उनके हिस्सा एवं दखल के अनुसार जमीन्दारी उन्मूलन के कुछ वर्षों के बाद प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी माल बांधकर कायम किया गया है, जो झमन महतो द्वारा उपर्युक्त निष्पादित विक्रय पत्र संख्या–6467 में विक्रेता द्वारा भूमि के हासिल होने एवं जमाबंदी कायम होने संबंधी वर्णित तथ्यों से मेल नहीं खाता है। उल्लेखनीय है, जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् लगान निर्धारण कर जमाबंदी कायम करने संबंधी सक्षम पदाधिकारी का कोई प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंजी–2 की अन्य जमाबंदियों की तुलना में इसका लिखावट बाद का प्रतीत होता है। इस जमाबंदी में दर्ज रकवा–2.36½ एवं लगान 3.00 रू0 में से लाल स्याही से रकवा–20 डी0 एवं लगान 75 पै0 घटाया गया है, परंतु इसे घटाकर किस जमाबंदी पर ले जाया गया है, इसका उल्लेख नहीं है, उक्त केवाला संख्या–6467 द्वारा बिक्री भूमि रकवा 20 डी0 के लिए लगान 40 पै0 दर्ज है, जबकि इससे लगान 75 पै0 घटाया गया है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि इस जमाबंदी से उक्त केवाला संख्या–6467 द्वारा बिक्रय भूमि एवं लगान को घटाया गया है, पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–254/1 से घटाये जाने का स्पष्ट विवरण दर्ज है। साथ ही प्रश्नगत जमाबंदी कायम होने के संबंध में कोई आदेश अंकित नहीं है। द्वितीय पक्ष ने भी लगान निर्धारण होने संबंधी कोई कागजात मांग जाने के पश्चात प्रस्तुत नहीं कियां प्रश्नगत जमाबंदी पर लगान रसीद संख्या–107766 दिनांक–31.03.1976 के द्वारा वर्ष 1963–64 से वर्ष 71–72 तक लगान की वसूली का इन्दाज है। इस पर एक अन्य रसीद भी अंकित है, परंतु पंजी–2 के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका तिथि स्पष्ट नहीं हुआ। द्वितीय पक्ष ने रसीद संख्या–107766 प्रस्तुत नहीं किया। द्वितीय पक्ष के द्वारा एक मात्र रसीद संख्या–873978 दिनांक–09.01.1965 का छायाप्रति प्रस्तुत किया है, यह मौजा–किशुनपुर के खाता संख्या–152 के रकवा–2.36½ ए0 के लिए झमन महतो वगैरह के नाम से है। इसके द्वारा वर्ष 1963–64 एवं 1964–65 के लिए सिर्फ लगान की वसूली की गई है, जबकि उस समय के लिए निर्धारित सैस की वसूली दर्ज नहीं है, जो संदेह उत्पन्न

[illegible] है। द्वितीय पक्ष के द्वारा [illegible] प्रस्तुत [illegible] नहीं किया। [illegible] प्रस्तुत किया। [illegible] प्रमाण [illegible] का [illegible] नहीं किया गया है। [illegible] नहीं किया गया है। [illegible] उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष [illegible] द्वितीय पक्ष [illegible] नहीं हुआ। प्रथम पक्ष का कब्जा सबल प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों के [illegible] सही प्रतीत नहीं होता है। [illegible] के पत्रांक–333/रा0, दिनांक–29.03.2018 के द्वारा [illegible] एवं सुनवाई कर [illegible] वाद संख्या [illegible] के दिनांक–15.07.2016 के पारित आदेश को [illegible] किया जाता है [illegible] का निरस्तीकरण करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार संबंधित कर्मचारी को निदेश निर्गत करें। [illegible] सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

अंचल अधिकारी, चतरा ने अपने पत्रांक–1161, दिनांक–26.11.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– श्री प्रवीण यादव बनाम [illegible] के संबंधित जिन्दा [illegible] कार्यालय में म्यूटेशन किया गया। परन्तु [illegible] म्यूटेशन के पश्चात भी [illegible] नहीं हो सका।"

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, चतरा का पत्रांक–237, दिनांक–07.04.2022 की प्रति समर्पित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी के द्वारा अपर समाहर्ता, चतरा को प्रतिवेदित किया गया है कि–" विषय–श्री निर्मल चन्द्र यादव, [illegible] के संबंध में। श्री निर्मल चन्द्र यादव [illegible] नियमानुसार कार्रवाई करने के [illegible] मौजा–[illegible] की [illegible] की जा रही है। [illegible]

रिटर्न की खोज अंचल कार्यालय के कर्मिया के द्वारा की गई परन्तु उक्त रिटर्न कार्यालय में उपलब्ध नही होने की स्थिति में प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–1161, दिनांक–26.11.2021 के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया था। आवेदक द्वारा श्री हरलाल महतो द्वारा दाखिल रिटर्न की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति दाखिल की गई है। उक्त रिटर्न वर्ष 1959 में अंचल कार्यालय में पदास्थापित प्रधान सहायक श्री लोकनाथ सहाय के हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति निर्गत की गई है। परन्तु वेतन पंजी के अवलोकन में स्पष्ट होता है कि वर्ष 1959 में प्रधान सहायक या सहायक के रूप में श्री लोकनाथ सहाय पदस्थापित नही थे। आवेदक द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यहीन है।"

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कथन, कागजातों तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर निम्नांकित तथ्य परिलक्षित होते है :–

1. अंचल अधिकारी, चतरा के तीन वाद विविध वाद संख्या–04/2016–17, वाद संख्या–23/2016–17, वाद संख्या–23/2017–18 में पारित आदेशों के कारण विवाद
2. बकास्त भूमि का मामला
3. माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा माननीय सिविल कोर्ट में आरिजनल सुट (बंटवारा वाद) संख्या–90/2022 का दायर होना।

1. <u>अंचल अधिकारी, चतरा के तीन वाद विविध वाद संख्या–04/2016–17, वाद संख्या–23/2016–17, वाद संख्या–23/2017–18 में पारित आदेशों के कारण विवाद :–</u>

प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा का **विविध वाद संख्या–04/16–17 (प्रवीण यादव) में दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश** पारित किया गया है कि–"मौजा किसनपुर के खाता संख्या–152, सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है, जिसका खेवट संख्या–03 एवं भू–स्वामी का नाम मानीक महतो वगैरह सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर झमन महतो वो द्वारिका

महतो, पिता–लालो महतो वो फन्नु महतो के नाम खाता संख्या–152, रकबा–2.36 1/2 एकड़ लगान 03 रुपये अ0शष दर्ज है। वर्तमान में इस जमाबंदी में रकबा–2.16 1/2 एकड़ एवं लगान 2.25 पैसा अ0 शेष बचा हुआ है, जिसका लगान रसीद संख्या–107766, दिनांक–31.3.1976 एवं रसीद संख्या–107772, दिनांक–31.03.1976 को लगान वसूली की गई है, जिसका प्रविष्टि पंजी 2 में दर्ज है। वर्ष 1976–77 से बकाया है। आवेदक ने रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया है। अतः हल्का राजस्व कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व हित में पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–260/1 पर कायम जमाबंदी को नियमित करते हुए बकाये तिथि से लगान लेकर लगान रसीद निर्गत करें।"

अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–23/2016–17 (निर्मलचन्द यादव) से संबंधित मामले में अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में दिनांक–28.01.2016 को अभिलेख की कार्यवाही प्रारंभ कर आवेदक द्वारा दाखिल रिटर्न, टाईटल सूट संख्या 11/1948 एवं केवाला संख्या 313 दिनांक 17.02.53 के आधार पर खाता संख्या–82 के लिए कायम जमाबंदी में मौजा किसुनपुर के खाता संख्या 152 पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 221/1 एवं 222/1 में अंकित करने एवं ऑनलाईन करने का आदेश दिनांक–19.10.2016 को पारित किया गया है।

अंचल अधिकारी, चतरा ने अपने पत्रांक–1161, दिनांक– 26.11. 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि–"श्री प्रवीण यादव बनाम निर्मलचंद यादव से संबंधित रिटर्न अभिलेख कार्यालय में खोजबीन किया गया, परन्तु उक्त क्षतिपूर्ति अभिलेख काफी खोजबीन के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं हो पाया।"

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित अंचल अधिकारी, चतरा का पत्रांक–337, दिनांक–07.04.2022 की प्रति समर्पित किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से अंचल अधिकारी के द्वारा अपर समाहर्त्ता, चतरा को प्रतिवेदित किया गया है कि–" विषय–श्री निर्मल चन्द्र यादव, सा0–किसुनपुर, थाना न0–185 का मूल रिटर्न रहने के बावजुद सत्यापित कॉपी नही देने के संबध में। श्री निर्मलचंद यादव (अधिवक्ता) ग्राम–किसुनपुर का आवेदन जॉचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करने के निदेश के साथ प्राप्त है। आवेदक द्वारा आवेदन में मौजा–किसुनपर के श्री हीरालाल महतो द्वारा दाखिल रिटर्न की माग की जा रही है। उक्त रिटर्न की खोज अंचल कार्यालय के कर्मियो के द्वारा की गई परन्तु उक्त रिटर्न कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक–1161, दिनांक–26.11.2021 के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया था। आवेदक द्वारा श्री हिरलाल महतो द्वारा दाखिल रिटर्न की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति दाखिल की गई है। उक्त रिटर्न वर्ष 1959 में अंचल कार्यालय मे पदास्थापित प्रधान सहायक श्री लोकनाथ सहाय के हस्ताक्षर से प्रमाणित प्रति निर्गत की गई है। परन्तु वेतन पंजी के अवलोकन मे सपष्ट होता है कि वर्ष 1959 में प्रधान सहायक या सहायक के रूप मे श्री लोकनाथ सहाय पदस्थापित नही थे। आवेदक (निर्मलचन्द यादव) द्वारा आवेदन मे लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं तथ्यहीन है।"

उपरोक्त दोनों आदेश (वाद संख्या–04/2016–17 एवं वाद संख्या–23/2016–17) की प्रति एवं अंचल कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा

विवादित मौजा–किशुनपुर एवं प्रश्नगत खाता संख्या–152 के संबंध में दोनों पक्षों के नाम से आदेश एक ही अवधि में पारित किया गया है जबकि दोनों अभिलेखों में सिर्फ आवेदक के आवेदन के आधार पर ही अलग–अलग आदेश पारित किया किया गया है, जो विवाद उत्पन्न करता है।

इसी बीच निर्मलचन्द यादव द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–04 / 2016–17 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील वाद दायर न कर उपायुक्त, चतरा के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा अपने पत्रांक–333 / रा0, दिनांक–29.03.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–4 / 2016–17 में दिनांक–15.07.2016 को पारित आदेश को तत्काल स्थागित रखते हुए, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चतरा को निर्देश दिया कि उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर देते हुए विधिवत आदेश पारित करें।

अंचल अधिकारी, चतरा के विविध वाद संख्या–23 / 2017–18 में आदेश पारित किया गया है कि.... "उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों तथा इनके विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबंदी को सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम होने के संबंध में द्वितीय पक्ष (प्रवीण यादव इस वाद में प्रथम पक्ष) अपना दावा साबित करने में सफल नहीं हुए। प्रथम पक्ष (निर्मल चन्द यादव इस वाद में द्वितीय पक्ष) का कथन सबल प्रतीत होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी सही प्रतीत नहीं होता है। अतः अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–333 / रा0, दिनांक–29.03.2017 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में जाँच एवं सुनवाई कर विविध

बाद संख्या–04 / 16–17 में दिनांक–15.07.2016 के पारित आदेश को अपास्त घोषित करते हुए प्रश्नगत जमाबंदी को स्थगित किया जाता है तथा ऑनलाईन कायम जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार संबंधित कर्मचारी को निदेश निर्गत करें। अपने हक एवं हिस्सा का दावा हेतु असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है।"

2. बकास्त भूमि का मामला :–प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–"खेवट के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि **खाता संख्या–152 खेवट संख्या–03 की भूमि है, जो मानिक महतो, कोमल महतो, मंगर महतो, गोपाल महतो बुधन महतो, सभी के पिता हरलाल महतो एक हिस्सा ब–हिस्सा बराबर एवं लालो महतो उर्फ लालमन महतो, पिता–रंगु महतो एक हिस्सा ब–हिस्सा बराबर बकास्त दर्ज है।** इस प्रकार खेवट के आधार पर भी अंचल अधिकारी यह भी देख सकते थे कि हिरा लाल महतो (अकेले), पिता–छतर महतो को रिटर्न भरने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही साथ यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह कि खाता संख्या 152 खेवट संख्या 3 के खेवटदार मानिक महतो वगैरह हैं जो खतियान में बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है। यह कि खेवट संख्या 3 खेवटदर मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपाल महतो वो मंगल महतो वो बुधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर, वो लालू महतो वल्द रंगु महतो एक हिस्सा कौम ग्वाला साकिनदेह दर्ज है। यह कि खेवट संख्या 2 / 14 के अंदर खाता संख्या 82 कुल प्लॉट 27, कुल रकवा 46.47 एकड़ भूमि है जो ग्राम किशुनपुर में स्थित है जिसके खेवटदार मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपल महतो वो मंगर महतो वो बुंधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा बा हिस्सा बराबर, वो लालू महतो पिता रंगु महतो एक हिस्सा वो मस० मुगिया

(30)

पति धनु महतो एक हिस्सा। यह कि खाता संख्या 88 खेवट संख्या 2/14 कुल प्लॉट संख्या 7 एकड़ 73 डी0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है जिसका खेवट संख्या 2/14 है, जिसके खेवटदार मानिक महतो वो कोमल महतो वो गोपाल महतो वो मंगर महतो वो बुधन महतो सभी पिता हरलाल महतो एक हिस्सा वा हिस्सा बराबर, लालू महतो पिता रंगु महतो एक हिस्सा वो मसो0 मुगिया देवी पति धनु महतो एक हिस्सा दावेदारी है। अर्थात खेवट संख्या 2/14 के खाता संख्या 88 एवं 82 में एक हिस्सा का दावेदार मसो0 मुगिया है। खाता संख्या 152 खेवट संख्या 3 से मसो0 मुगिया का कोई सरोकार नही है। **खाता संख्या 152 में** केवल हरलाल महतो के पुत्र एवं लालू महतो के ही दावेदारी है **जो दोनों आधा हिस्सा की दावेदारी है।** यह कि वर्तमान समय में खाता संख्या 152 विवादित है जिसका अपील श्रीमान् के न्यायालय में लंबित है। **खाता संख्या 82 एवं 88 से संबंधित कोई विवाद नहीं है।"**

3. माननीय व्यवहार न्यायालय, चतरा माननीय सिविल कोर्ट में आरिजनल सुट (बंटवारा वाद) संख्या–90/2022 का दायर होना–

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेखित किया है कि–"यह है कि प्रश्नगत भूमि के बावत प्रथम पक्ष द्वारा ऑरिजनल सुट (बंटवारा वाद) संख्या–90/2022 श्रीमान् व्यवहार न्यायालय, चतरा में लाया गया है जो अभी लंबित है। यह कि प्रस्तुत वाद भूमि के बावत सिविल सुट लंबित रहने के कारण इस अपील वाद में किसी तरह का कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। श्रीमान् से अनुरोध है कि प्रस्तुत अपील को बंटवारा वाद संख्या–90/2022 के निराकरण होने तक स्थगित करने की कृपा की जाय एवं बंद करने की कृपा की जाय।"

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के आधार पर वाद से संबंधित मामला स्वत्व का परिलक्षित होता है। वर्तमान में व्यवहार न्यायालय, चतरा के अंतर्गत भी संबंधित भूमि से एक मामला (बंटवारानामा वाद संख्या–90/2022) विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय से कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, चतरा को संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह० 16/11/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

ह० 16/11/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:39:17 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe